भाग दो (ब)

प्रस्तर-1 आबंटित धनराशि के सापेक्ष प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्रों एवं वस्तिविक व्यय में भिन्नता ` 3.63 करोड़

कार्यालय ज़िला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा (फरवरी 2019) के दौरान राज्य वित्त व केन्द्र वित्त से संबन्धित अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में विभिन्न इकाइयों को ` 24.85 करोड़ की धनराशि संबन्धित योजनाओं के अंतर्गत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त की गई थी जिस के सापेक्ष वर्ष के अंत तक ` 21.22 करोड़ का व्यय किया गया था। इकाई द्वारा अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किए बिना ही वास्तविक व्यय के स्थान पर पूर्ण अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन स्तर को प्रेषित किया गया। विवरण निमन्वत है:

मद का नाम	विभिन्न इकाइयों को आबंटित धनराशि	निदेशालय को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की धनराशि	वास्तविक व्यय	भिन्नता
राज्य वित्त	832.39	832.39	669.50	162.89
14 वां वित्त	1652.46	1652.46	1452.46	200.00
कुल योग	2484.85	2484.85	2121.96	362.89

अव्ययित धनराशि का व्यय दिखा कर पूर्ण आबंटित धनराशि से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर ज़िला पंचायत राज अधिकारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। राज्य वित्त व केन्द्र वित्त के अंतर्गत पूर्ण धनराशि का उपयोग कार्यदायी संस्थाओं द्वारा न किए जाने के कारणों तथा इकाई स्तर पर किए जाने प्रयासों के संबंध में बताया गया कि कार्यदायी संस्थाओं को इस संबंध में पत्र निर्गत किए गए हैं तथा शीघ्र ही समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र इकाई को प्राप्त हो जाएंगे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वर्ष के अंत तक अनुपयोगी धनराशि के उपयोग हेतु किए गए प्रयासों से संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध करने में इकाई विफल रही।

अतः आबंटित धनराशि के सापेक्ष प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्रों एवं वस्तिविक व्यय में ` 3.63 करोड़ की भिन्नता का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।